

क्रमांक :- भ.भण्डार 14(7)(1)/नवीन कम्प्यूटर क्रय/अभि/2025/01099

दिनांक :-

श्रीमान् निदेशक महोदय,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।

विषय :- अभियोजन निदेशालय शासन सचिवालय राजस्थान, जयपुर एवं अधिनस्थ अभियोजन अधिकारीगण के कार्यालयों के उपयोग हेतु कम्प्यूटर मय यूपीएस एवं प्रिन्टर क्रय करने हेतु निविदा सूचना की प्रति एक क्षेत्रीय स्तर दैनिक, एवं एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र में संक्षिप्त सूचना प्रकाशन कराने बावत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अभियोजन निदेशालय, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर एवं अधिनस्थ अभियोजन अधिकारीगण के कार्यालयों के उपयोग हेतु कम्प्यूटर मय यूपीएस एवं प्रिन्टर क्रय करने हेतु प्रतिष्ठित विनिर्माताओं, अधिकृत डीलर, अधिकृत सेवा केन्द्र/थोक विक्रेता एवं सप्लायर्स से निविदायेँ आमंत्रित की जानी हैं। जिसकी सूचना देने के लिये निविदा सूचना की प्रति एक क्षेत्रीय स्तर दैनिक, एवं एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र में संक्षिप्त सूचना प्रकाशन हेतु आपको भिजवायी जा रही है।

NIB code PST2526A0001

UBN PST2526GLOB00001

अतः संक्षिप्त सूचना का प्रकाशन शीघ्रातिशीघ्र करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने की कृपा करें।

संलग्न :- निविदा सूचना की प्रतिलिपी।

(कमल कुमार शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर।

Address: Room No: 7226, 2nd Floor, Food Building, Secretariate,
Jaipur(Rajasthan), Pincode: 302005, Phone & Fax: 0141-2227806
Email address: prosecution@rajasthan.gov.in

Signature Not Verified

Digitally signed by Kamal Kumar
Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2025.09.20 21:43:01 IST
Reason: Approved



क्रमांक :- भ.भण्डार 14(7)(1)नये कम्प्यूटर क्रय/अभि./25/01099

दिनांक

ई-बोली आमंत्रण सूचना संख्या 03/2025-26

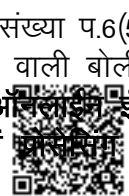
अभियोजन विभाग, राजस्थान के लिये वित्तीय वर्ष 2025-2026 की बजट घोषणा संख्या 268.03.00 एवं 83.03.00 की क्रियान्विति के तहत ई संसाधनों यथा उन्नत मॉडल डेस्टॉप कम्प्यूटर मय यूपीएस 100 नग एवं मल्टीफंक्शन प्रिंटर स्कैनर, लीगल, साईज 100 नग को क्रय एवं स्थापित करवाये जाने के लिये निर्धारित प्रपत्र में ई-बिड आमन्त्रित की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विवरण	
1.	क्रय/ आपूर्ति की जाने वाली वस्तु / आइटम का नाम।	उन्नत मॉडल डेस्टॉप कम्प्यूटर मय यूपीएस एवं मल्टीफंक्शन प्रिंटर स्कैनर, लीगल, साईज
2.	क्रय/ आपूर्ति की जाने वाली वस्तु / आइटम की मात्रा	100 नग प्रत्येक
3.	क्रय/ आपूर्ति की जाने वाली वस्तु / आइटम की अनुमानित लागत	Rs. 95,00,000/-
4.	सप्लाई अवधि	कार्यादेश जारी किये जाने की तिथि से अधिकतम 50 दिवस
5.	बोली प्रतिभूति राशि	1,90,000/- (बजट मद 8443-00-103-00-00)
6.	बोली प्रपत्र शुल्क (ई ग्रास से चालान के जरिये)	Rs. 2000/- (बजट मद 0075-00-800-52-01)
7.	RISL का प्रक्रिया शुल्क (ई ग्रास से चालान के जरिये)	Rs. 1500/- (बजट मद 8658-00-102-16-01)
8.	प्रकाशन दिनांक	23-09-2025
9.	बोली प्रपत्र डाउनलोड प्रारम्भ की तिथि व समय	23-09-2025
10.	बोली प्रपत्र अपलोड प्रारम्भ की तिथि व समय	23-09-2025
11.	बोली प्रपत्र डाउनलोड करने की अंतिम तिथि व समय	03-10-25, 6 PM
12.	बोली प्रपत्र अपलोड करने की अंतिम तिथि व समय	03-10-25, 6 PM
13.	तकनीकी बिड खोलने की तिथि व समय	06-10-25, 11.15 AM

विस्तृत बोली प्रपत्र एवं शर्तें, अंतिम तिथि एवं निर्धारित समय तक वेबसाईट [http:// www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) से डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है। बोली प्रपत्र को निर्धारित दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में मय दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर <http:// www.eproc.rajasthan.gov.in> अंतिम तिथि एवं समय तक अपलोड करना होगा।

Signature Not Verified

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र संख्या प.6(5) वित्त/सा.वि.ले. 20 दिनांक 27.04.2020 के अनुसार ऑन लाईन प्रस्तुत की जाने वाली बोली प्रपत्र शुल्क, प्रोसिसिंग शुल्क, बोली प्रतिभूति एक ही चालान से ऑनलाइन ई ग्रास सिस्टम के माध्यम से जमा करवाया जाना आवश्यक है। बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसिसिंग शुल्क जमा करने का प्रमाण



Digitally signed by Karan Kumar Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2025.09.19 15:11:14 IST
Reason: Approved

पोर्टल पर विभाग का नाम **117- Prosecution Department** का चयन किया जावे। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 09.07.2020 में ई ग्रास पोर्टल पर ऑन लाईन चालान से फीस जमा करवाये जाने की पूर्ण प्रक्रिया दी गई है।

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्तें एवं अन्य विवरण वेबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in>, राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल <https://sppp.rajasthan.gov.in> पर एवं विभागीय वेबसाईट <https://home.rajasthan.gov.in/content/homeportal/en/prosecutiondepartment.html> पर देखी जा सकती है।

अतिरिक्त निदेशक अभियोजन
अभियोजन निदेशालय,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि :-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं ।

1. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि बोली आमन्त्रण सूचना राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 46 (6) में विहित प्रावधानुसार न्यूनतम स्पेस एवं अनुमोदित दरों पर अविलम्ब प्रकाशन करावें ।
2. समस्त सदस्य उपापन समिति ।
3. प्रोग्रामर/आई.ए. कम्प्यूटर शाखा, अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर को भेज कर लेख है कि निविदा को विभागीय वेबसाईट, एसपीपीपी पोर्टल एवं ई- प्रॉक पोर्टल पर अविलम्ब अपलोड करें।
4. नोटिस बोर्ड मुख्यालय।

अतिरिक्त निदेशक अभियोजन
अभियोजन निदेशालय,
राजस्थान, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kamal Kumar
Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2025.09.19 15:21:14 IST
Reason: Approved

Annexure- A

ई- बोली की आवश्यक शर्तें

नोट:- बोलीदाताओं को शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा बोली प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये।

1. वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र संख्या प. 6 (5)वित्त/सा.वि.ले.नि./2018 दिनांक 27.04.2020 के अनुसार ऑन लाईन प्रस्तुत की जाने वाली बोली हेतु निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क राशि 2000/- रुपये एवं RISL प्रोसिसिंग शुल्क राशि 1500/- रु. एवं बोली प्रतिभूति राशि 1,90,000/- एक ही चालान से ऑनलाईन ई ग्रास सिस्टम के माध्यम से जमा करवाया जाना आवश्यक है। बोली प्रपत्र शुल्क, आर.आई.एस.एल. प्रोसिसिंग शुल्क एवं बोली प्रतिभूति के चालान को भी ई-बिड के साथ अपलोड किया जाना आवश्यक है। निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति एवं प्रोसेसिंग फीस के अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी। बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस किसी भी परिस्थिति में नहीं लौटाया जावेगा।

राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 42 के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्बंधित निविदादाताओं को बोली प्रतिभूति राशि (उपापन हेतु प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत) जमा करवानी होगी या जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे। **बोली प्रतिभूति एवं निविदा प्रपत्र शुल्क में राज्य सरकार के नियमानुसार ही छूट देय होगी।** इसके लिये बोलीदाता को भारत सरकार द्वारा जारी UAM की छायाप्रति ई-बिड के साथ अपलोड करनी होगी।

क्वालिफाईंग बिड में योग्य पाये गये बोलीदाताओं की प्राईस बिड (वित्तीय बोली) खोलने की नवीनतम जानकारी वेबसाईट [http:// www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) एवं राज्य सरकार के उपापन पोर्टल <https://sppp.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध करा दी जावेगी।

2. जो बोलीदाता ई-बोली में भाग लेना चाहते हैं वे वांछित दस्तावेजों के साथ वेबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर ऑन लाईन इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में निर्धारित दिनांक एवं समय तक ई-बोली प्रस्तुत कर सकते हैं।

4 निविदादाताओं को Annexure D में उल्लेखित आईटमों (संख्या एवं स्पेसिफिकेशन) के अनुसार आईटम आपूर्ति करने होंगे।

5 बोली प्रस्तुत करने हेतु प्रमुख पात्रताएं %&

क्र.सं.	पात्रता हेतु शर्तें	सहायक दस्तावेज
1 ^प	बोलीदाता को निविदा में चाहे गये उत्पाद का विनिर्माता (OEM)/ प्राधिकृत डीलर/ ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर /चैनल पार्टनर होना आवश्यक है।	बोलीदाता द्वारा अपने स्टेटस के संबंध में बोली के साथ संलग्न Annexure-1 में घोषणा पत्र भरकर स्कैन कर प्रस्तुत किया जावेगा व चाहे अनुसार लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी बोली के साथ स्कैन कर अपलोड किये जायेंगे।
2 ^प	बोलीदाता का जयपुर में पिछले 3 वर्षों से पंजीकृत एक स्थानीय शाखा कार्यालय होना आवश्यक है, ताकि वारंटी अवधि के दौरान तेज और सुचारु आपूर्ति और सेवा प्रदान की जा सके। बोली प्रस्तुत करते समय स्थानीय कार्यालय होने के प्रमाण के रूप में जीएसटी	बोलीदाता का जीएसटी. पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत करना होगा एवं संबंधित दस्तावेज स Digitally signed by Kamal Kumar Sharma Designation : Joint Director Date: 2025.09.19 15:21:14 IST Reason: Approved

	और किराया समझौते के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए।	
3 ^प	बोलीदाता को वैध पैनकार्ड धारक होना आवश्यक है।	पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।
4 ^प	Bidder Turnover :- बोली दाता फर्म की प्रकाशित अंकेक्षित बैलेंस शीट के अनुसार बोली दाता फर्म का वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक का प्रतिवर्ष वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम 5 करोड़ रुपये होना आवश्यक है।	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा जारी किया गया टर्नओवर प्रमाण पत्र जिसमें सी.ए. के रजिस्ट्रेशन न. एवं UDIN No. अंकित हो, ई-बोली के साथ अपलोड करना होगा।
5 ^प	OEM Turnover :- आपूर्ति की जाने वाले आइटम के ओईएम का वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक का औसत वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम 100 करोड़ रु. होना आवश्यक है। केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/ केन्द्रशासित प्रदेश के विभागों/पीएसयू/बैंक में पिछले 3 वर्षों में IT/ITeS Equipments की आपूर्ति का अनुभव (कुल राशि रु. 20 करोड़) होना चाहिए। Private Sector में सप्लाय का अनुभव मान्य नहीं होगा। भारत में 10 वर्ष से अधिक समय विनिर्माण इकाई वाले ओईएम के पास वैध और नवीनतम कारखाना लाइसेंस, प्रमाणित गुणवत्ता प्रक्रियाएं, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाणन प्राधिकरण, एमआईआई घोषणा के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा जारी किया गया टर्नओवर प्रमाण पत्र जिसमें सी.ए. के रजिस्ट्रेशन न. एवं UDIN No. अंकित हो, ई-बोली के साथ अपलोड करना होगा। संबंधित दस्तावेज संलग्न करते हुए।
6 ^प	बोलीदाता और ओईएम को 500/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर बोली संख्या के साथ नोटरीकृत शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि उन्हें भारत में किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार के विभाग/पीएसयू/स्वायत्त निकाय द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।	इस हेतु बोली दाता को Annexure- 2 में प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
7 ^प	बोलीदाता को दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2024 तक केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/ केन्द्रशासित प्रदेश के विभागों/पीएसयू/बैंक में IT/ITeS Equipments की आपूर्ति का अनुभव में (प्रतिवर्ष राशि रु. 01 करोड़ या अधिक) होना चाहिए।	संबंधित विभाग से प्राप्त कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र अथवा कार्यदेश अथवा टैक्स इन्वॉयस की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
8 ^प	निर्माता प्राधिकरण: जहां भी अधिकृत वितरक/डीलर बोली प्रस्तुत कर रहे हैं, वहां निर्माता प्राधिकरण प्रपत्र (OEM Authorization Certificate (MAF))/प्रमाणपत्र जिसमें ओईएम विवरण जैसे नाम, पदनाम, पता, ई-मेल आईडी और फोन नंबर, बिड नम्बर शामिल हों, निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।	Annexure 4 (Indicative) में OEM Authorization Certificate (MAF) संलग्न करना होगा। Signature Not Verified Digitally signed by Kamal Kumar Sharma Designation : Joint Director Date: 2025.09.19 15:21:14 IST Reason: Approved

9 ^ए	OEM के (निविदत्त आईटम का) राजस्थान के संभागीय मुख्यालयों (जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर) पर सर्विस सेंटर होना आवश्यक है। जिसके द्वारा Comprehensive On-site Warranty-3 years (Next Business Day response) अनिवार्य।	सूची मय पता, ई-मेल आईडी और फोन नंबर संलग्न करने होंगे।
10	निविदा में वांछित समस्त दस्तावेजों की पूर्ति करना आवश्यक है।	Annexure-B पर Qualifying Bid के बिन्दु (xiii) में उल्लेखित चैकलिस्ट के अनुसार एवं निविदा में यथा उल्लेखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
11	बोलीदाता और OEM द्वारा प्रतिबंध के अनुपालन के अनुसार Land border Policy की पालना की जानी है।	एनेक्चर 6 में घोषणा करनी होगी।

6. बोलीदाता को Annexure B पर Qualifying Bid के बिन्दु (xiii) में उल्लेखित चैकलिस्ट के समस्त बिन्दुओं की पूर्ति करनी होगी एवं तदनुसार दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
7. समस्त प्रमाण-पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होने चाहिए। अन्य किसी भाषा में प्रमाण-पत्र है तो वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुवादित हो तथा सत्यापित किया हुआ होना आवश्यक है।
8. दरों की वैधता –प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन तक मान्य होगी।
9. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरों में समस्त कर सहित आपूर्ति, इन्स्टॉलेशन, कमीशनिंग सम्मिलित होंगे। इसके लिये कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
10. यदि कोई बोलीदाता किसी वित्तीय वर्ष की सप्लाय करने या आंशिक सप्लाय करने में असफल रहता है और उसकी सम्पूर्ण कार्य संपादन प्रतिभूति या यथा स्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन किसी उपापन संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रक्रिया या उपापन संविदा में समपहत (Forfeit) कर लिया गया है तो बोली लगाने वाले को उपापन संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से तीन वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए विवर्जित (Debar) किया जा सकेगा।
11. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए तथा कोई भी दस्तावेज /प्रमाण पत्र जाली एवं कूटरचित नहीं होना चाहिये। यदि ऐसा पाया जाता है तो बोली दाता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। तकनीकी बिड खोलने के पश्चात विभाग द्वारा मांगे जाने पर मूल दस्तावेज बोलीदाता को यथा समय प्रस्तुत करने होंगे।
12. बोलीदाता विभागीय बोली एवं संलग्न परिशिष्टों एवं अनुलग्नकों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके बोली में भाग ले सकते हैं। उक्त मुख्य शर्तों एवं विभागीय बोली. परिशिष्टों एवं अनुलग्नकों में उल्लेखित शर्तों के विपरीत कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी। सभी विभागीय बोली शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप समस्त परिशिष्ट एवं अनुलग्नक डाउन लोड करने के बाद हस्ताक्षर उपरान्त ई-बोली के साथ स्कैन कर अपलोड करना होगा। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी। यदि किसी बोलीदाता ने विभागीय शर्तों के विपरीत कोई शर्त लगाई है तो वह बोली निरस्त कर दी जावेगी और ई-बोली में उसके आगे के चरण (Stages) को नहीं खोला जावेगा।
13. फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर ही विभागीय कार्य समीक्षा प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर यदि उचित समझती है या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तो वांछनीय दस्तावेज एवं वांछित सामग्री प्राप्त करने निर्णय ले सकती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Karan Kumar Sharma

Designation : Joint Director

Date: 2025.09.19 15:21:14 IST

Reason: Approved

14. विभागीय उपापन समिति के निर्णयानुसार अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, अभियोजन विभाग, राजस्थान जयपुर किसी भी बोली अथवा उसके भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार कर सकेंगे।
15. विभाग द्वारा उपापन में अंकित आइटम की मात्रा नियमानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
16. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, अभियोजन विभाग, राजस्थान जयपुर को लिखित में बोलीदाता द्वारा दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नहीं किया जाएगा।
- (ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को बोलीदाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नहीं हो जाते एवं अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, अभियोजन विभाग, राजस्थान जयपुर को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सभी को बाध्य करेगी तथा संविदा के किसी प्रयोजन के लिए वह पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

17. जीएसटी पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं जीएसटी रिटर्न

- (i) कोई भी डीलर जो अपने व्यवसाय स्थल के राज्य में प्रचलित जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है, वह बोली नहीं दे सकेगा। बोलीदाता द्वारा पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाएगा। प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत करना होगा।
- (ii) यदि किसी वस्तु पर जीएसटी लगता है तो उसकी दर फर्म द्वारा आवश्यक रूप से अलग से प्रस्तुत की जावेगी। यदि किसी फर्म ने कर सहित दरें प्रस्तुत की है तो उसमें जीएसटी की दर अलग से दर्शानी/बतानी होगी। नियमानुसार देय जीएसटी पर समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दर से टीडीएस काटकर ही भुगतान किया जावेगा।
18. जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र में निविदत्त वस्तु या वस्तुओं के ग्रुप का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। जिससे यह स्पष्ट हो कि वह निविदत्त वस्तु में व्यापार करता है।
19. बोलीदाता को बोली एवं बोली की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप समस्त परिशिष्ट एवं अनुलग्नकों पर अपने हस्ताक्षर उपरान्त बोली के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।
20. यदि कोई बोलीदाता किसी वित्तीय वर्ष की सप्लाई करने या आंशिक सप्लाई करने में असफल रहता है तो वह उस वित्तीय वर्ष से आगामी तीन वित्तीय वर्ष तक विभागीय बोलियों में भाग लेने के लिए योग्य नहीं होगा।

21. दरें :-

- (i) बोली में दरें शब्दों एवं अंकों दोनों रूप में लिखी जावेंगी। इसमें कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।
- (ii) बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी :-

- (क) ईकाई मूल्य (Unit Price) और कुल मूल्य (Total Price) जो ईकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है, के मध्य यदि कोई अंतर हो तो ईकाई मूल्य में सुधार किया जावेगा। अर्थात् ईकाई मूल्य स्वीकार किया जावेगा और कुल मूल्य में सुधार किया जावेगा। जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति द्वारा सूचित किया गया दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गई है। इस मामले में उचित कुल मूल्य प्रभावी होगा और ईकाई मूल्य में सुधार किया जावेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Karan Kumar Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2025.09.19 15:21:14 IST
Reason: Approved

- (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक (Sub Total) प्रभावी (Prevail) होंगे और कुल योग में सुधार किया जावेगा।
- (ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गई रकम तब तक प्रभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो।
- ऐसे मामलों में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्याधीन न रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम प्रभावी होगी।

(iii) बोली में दर अंकित करते समय जीएसटी अलग से अंकित की जावे व जीएसटी की कुल राशि या प्रतिशत अवश्य अंकित की जावे। अस्पष्ट वाक्य, जैसे “टैक्स पैड” “कर सहित” “एज एप्लीकेबल” का प्रयोग नहीं किया जावे। टैक्स में रियायत मिली हुई है तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख करें एवं इसका प्रमाण भी प्रस्तुत करें। यदि सरकार द्वारा जीएसटी में कालान्तर में बढ़ोत्तरी या कमी की जाती है तो उसी के अनुसार भुगतान किया जावेगा।

(iv) बोली में दरें Annexure D में अंकित स्पेसिफिकेशन एवं शर्तों के अनुसार गन्तव्य स्थान सम्पूर्ण राजस्थान के अभियोजन कार्यालयों तक एफ.ओ.आर. अंकित की जानी चाहिये तथा उसमें जीएसटी के अलावा समस्त प्रकार के टैक्स एवं आनुषंगिक (Incidental) प्रभारों को शामिल करना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा कोई गाडी भाडा या परिवहन प्रभार नहीं दिया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी सम्पूर्ण राजस्थान के अभियोजन कार्यालयों पर की जावेगी। (Annexure E सुपुर्दगी स्थल व संख्या की सूची अनुसार।)

(v) बोली में दर अंकित करते समय किसी भी प्रकार की रिबेट/छूट घटाकर शुद्ध दरें (NET) ही दी जावे।

(vi) सप्लाई के समय अग्रिम भुगतान की शर्त स्वीकार्य नहीं होगी। अतः बोली में दर अंकित करते समय अग्रिम भुगतान की शर्त नहीं दी जावे। यदि अग्रिम भुगतान की शर्त लगाई जाती है तो सशर्त निविदा मानकर निरस्त कर दी जावेगी।

(vii) सप्लाई के समय माल प्राप्त होने पर निरीक्षण उपरान्त माल विभागीय स्पेसिफिकेशन/सैम्पल के अनुसार पाये जाने पर यथाशीघ्र भुगतान कर दिया जावेगा। अतः बोली में दर अंकित करते समय माल की सप्लाई के पूर्ण करने पर भुगतान हेतु समय सीमा की शर्त अंकित नहीं की जावे। यदि भुगतान हेतु समय सीमा अंकित की जावेगी तो सशर्त बोली मानकर निरस्त की जा सकेगी।

(viii) विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार ही बोली में दरें अंकित की जावें। विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार नहीं दी गई दरें अमान्य होंगी व बोली निरस्त की जा सकेगी।

(ix) बोली दरें खुलने के पश्चात यदि कोई बोलीदाता अपने आप दर में कमी करता है (नेगोशियेशन के अतिरिक्त) तो वह प्रस्तावों में उपान्तरण माना जावेगा। जिसके कारण उसकी बोली निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

(x) बोलीदाता द्वारा बोली सूचना में अंकित पूर्ण मात्रा हेतु निविदा दी जावेगी। बोली सूचना में अंकित मात्रा से कम मात्रा हेतु दी गई बोली मान्य नहीं होगी। जिसके आधार पर बोली निरस्त कर दी जावेगी।

(xi) बोलीदाता को निविदा में मांगी गई सभी आईटमों यथा कम्प्यूटर मय यूपीएस एवं प्रिन्टर की दर प्रस्तुत करनी होगी, सभी आईटम की मात्रा के कुल मूल्य के आधार पर ही सफल बोलीदाता (L1, L2, L3...) का चयन किया जाएगा। सभी आईटमों यथा कम्प्यूटर मय यूपीएस एवं प्रिन्टर की दर प्रस्तुत करने वाली बोली मान्य नहीं होगी। जिसके आधार पर बोलीदाता को निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kamal Kumar Sharma

Designation : Joint Director

Date: 2025.09.19 15:21:14 IST

Reason: Approved

22. **बातचीत (Negotiation) :-**

- (i) जहाँ तक संभव हो निविदाकारों (बोलीदाताओं Bidders) से कोई बातचीत **(Negotiation)** नहीं किया जावेगा, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम दर प्रदाता/अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगी :-
- (क) जब बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमतें (Ring Price) दी गई हो
या
- (ख) जब प्रस्तुत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में भारी अन्तर हो।
- (ii) न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले को बातचीत (Negotiation) के लिए बुलाने के लिए न्यूनतम 7 दिवस का समय दिया जावेगा। किन्तु अत्यावश्यकता की स्थिति में मूल्यांकन समिति उक्त समय सीमा को कम कर सकेगी, बशर्ते न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को सूचना प्राप्त हो गई हो।
23. **बोली की विधि मान्यता :-** दरों की वैधता प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी। निर्धारित विधि मान्यता की अवधि से कम अवधि के लिए कोई बोली गैर प्रत्युत्तरदायी (Non-Responsive bid) के रूप में मानकर अस्वीकार कर दी जावेगी।
24. अनुमोदित सप्लायर के लिए यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेसिफिकेशन, साईज, मेंक एवं ड्राईंग आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग, स्पेसिफिकेशन, ड्राईंग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो तो वह बोली प्रस्तुत करने से पूर्व अपना आवेदन अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, अभियोजन विभाग, राजस्थान जयपुर को बिड प्रपत्र जारी होने की दिनांक से तीन दिवस में विभागीय ई-मेल www.prosecution@rajasthan.gov.in पर भेजेगा तथा उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
25. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप भाडे (Sub-let) पर नहीं देगा।

26. **स्पेसिफिकेशन:-**

- (i) प्रदाय की जाने वाली सभी वस्तुएं बोली एवं बोली शर्तों से संबंधित Annexure D में निर्धारित स्पेसिफिकेशन के पूर्णतया अनुरूप होगी। ऐसे मामले में जहाँ कोई स्टैंडर्ड या अनुमोदित नमूना या स्पेसिफिकेशन नहीं हो, उस स्थिति में सप्लायर द्वारा भारत में उपलब्ध अति-उत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु सप्लाय की जावेगी। निविदत आईटम के पार्ट्स पर ओईएम का निर्धारित लोगो अंकित होना अनिवार्य है। प्रदाय की गई वस्तुओं की गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन के संबंध में अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, अभियोजन विभाग, राजस्थान जयपुर का निर्णय अंतिम होगा तथा लिया गया निर्णय निविदादाताओं (बोलीदाताओं) के लिए अंतिम एवं मान्य होगा।
- (ii) यदि प्रदाय की जाने वाली वस्तुएं निर्धारित स्तर के अभाव में अस्वीकार कर दी जाती हैं, तो अस्वीकृत माल के बदले निर्धारित स्तर की वस्तु देने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी तथा बोलीदाता को अस्वीकृत किये माल के बदले निर्धारित स्तर का माल बिना अतिरिक्त कीमत के क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाय अवधि में ही देना होगा।
- (iii) अस्वीकृत किया गया माल बोलीदाता द्वारा अस्वीकृति की सूचना के 15 दिन के अन्दर जिस स्थान पर आपूर्ति की गई है, से वापिस ले जाना होगा। 15 दिन के पश्चात् आपूर्ति स्थान से माल नहीं ले जाने पर विभाग द्वारा निर्धारित भण्डारण व्यय बोलीदाता से वसूली जावेगी। माल अस्वीकृत होने की सूचना के 30 दिन पश्चात् बोलीदाताओं द्वारा आपूर्ति स्थान से माल नहीं ले जाने पर आपूर्ति के संबंध में उसका निस्तारण करने हेतु पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत माल के संबंध में यथोचित सुरक्षा रखी जावेगी, लेकिन विभागीय अधिकारियों के आदेश पर माल

Signature Not Verified
Digitally Signed by Kamal Kumar
Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2025.09.19 15:21:14 IST
Reason: Approved

की क्षति, कमी, घाटा, नाश, टूट, फूट, हानि होने पर विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

- (iv) बोलीदाता द्वारा Annexure D में अंकित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही निविदा प्रस्तुत की जावेगी। अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर प्रस्तुत बोली निरस्त कर दी जावेगी।

27. **डेमोन्स्ट्रेशन/प्रेजेन्टेशन** :- विभाग द्वारा चाहे जाने पर बोलीदाता द्वारा बोली आमंत्रण में अंकित आईटम का डेमोन्स्ट्रेशन /प्रेजेन्टेशन विभाग में उपस्थित होकर करना होगा।

28. **माल की सप्लाई** :-

- (i) बोलीदाता सप्लाई के समय माल की उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। माल प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त सामग्रियों की जांच, निरीक्षण किये जाने पर माल में पाई गई किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव (Leakage) या किसी कमी के होने के मामले में हुई हानि एवं कमी की पूर्ति के लिए बोलीदाता उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।
- (ii) यदि बोलीदाता द्वारा माल की सप्लाई निर्धारित मानदण्ड एवं स्पेसीफिकेशन के अनुसार नहीं की जाती है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय संविदा को निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए संविदा को निराकृत (Repudiate) कर सकते हैं।
- (iii) बोलीदाता द्वारा समस्त माल रेल्वे या गुड्स ट्रान्सपोर्ट के जरिये भाड़ा एवं अन्य प्रभार आदि चुका कर **FOR** सम्पूर्ण राजस्थान के अभियोजन कार्यालयों पर भेजा जायेगा। (Annexure E सुपुर्दगी स्थल व संख्या की सूची अनुसार।)
- (iv) बोलीदाताओं को विभाग द्वारा सामग्री के निरीक्षण के बाद उपकरण की सफल स्थापना सुनिश्चित करनी होगी। वारंटी विवरण OEM की वेबसाइट पर दिखाई देना चाहिए।

29. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

30. **सुपुर्दगी अवधि (Delivery Period)**

- (i) जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जायेगी वह कार्यादेश से अधिकतम 50 दिवस की अवधि में माल की सप्लाई करेगा।
- (ii) फर्म निर्धारित समयावधि में निर्धारित मात्रा के अनुसार आपूर्ति करने में असफल रहती है तो प्रकरण क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। यदि फर्म निर्धारित समयावधि में आंशिक सामान सप्लाई नहीं करती है तथा अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही सप्लाई अवधि बढ़वाना चाहती है तो उसे उन बाधाओं का उल्लेख करते हुए, जिनके कारण सप्लाई अवधि बढ़वाई जा रही है, लिखित में आवेदन करना होगा। उपापन संस्था द्वारा सप्लाई अवधि बढ़ाने या नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया जावेगा।
- (iii) निर्धारित की गयी प्रदायगी अवधि के बराबर अवधि तक, परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित, प्रदायगी अवधि में अधिकतम अभिवृद्धि की जा सकती है। किन्तु जिन मामलों में फर्म द्वारा सामग्री विदेशों से आयात करके सप्लाई की जानी है या किसी निरस्त से सामग्री सप्लाई किए जाने के बाद, इन्सटालेशन किया जाना है वहाँ प्रकरण के गुणवत्ता आधार पर घटित बाधाओं से संतुष्ट होने पर उपापन संस्था सप्लाई अवधि बढ़ाने या नहीं बढ़ाने का निर्णय लेगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kamal Kumar Sharma

Designation : Joint Director

Date: 2025.09.19 15:21:14 IST

Reason: Approved

31. माल (Goods) एवं सेवाओं (Services) के परिमाण (मात्रा) वृद्धि एवं पुनरादेश (Repeat Orders)

- (i) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण कोई माल/सेवा का उपापन नहीं करती है या विनिर्दिष्ट मात्रा से कम प्राप्त करती है तो बोली लगाने वाला किसी भी दावों या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
- (ii) अतिरिक्त मदों (Items) या अतिरिक्त मात्रा के लिए पुनरादेश (Repeat) Orders) संविदा में दी गई दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियों आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदायगी या कार्य पूर्ण करने की अवधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकेगी। पुनरादेश किसी भी स्थिति में मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50% से अधिक नहीं होगा।

32. संविदा के अधिनिर्णय (Award of Contract) के समय एक से अधिक बोलीदाताओं के मध्य विनिर्दिष्ट मात्रा का विभाजन:- सामान्यतः उपापन की विषयवस्तु (मात्रा/सेवा) की समस्त मात्रा उस बोलीदाता से उपाप्त (कय) की जावेगी जिसकी बोली स्वीकार की गई है। तथापि जब यह समझा जावे कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु की मात्रा बहुत अधिक है और इस सम्पूर्ण मात्रा प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गई है या जब यह समझा जावे कि उपापन की विषयवस्तु गंभीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में वस्तु की मात्रा को, प्रथम न्यूनतम बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की गई और द्वितीय निम्नतम बोलीदाता या इसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के मध्य अनुमोदित बोलीदाता की दरों पर निष्पक्ष (Fair) पारदर्शी और साम्यपूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा।

33. करार एवं कार्यसम्पादन प्रतिभूति राशि (Agreement and Performance Security) :

1. (अ) निविदा सूचना में अंकित आईटम की आपूर्ति हेतु सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 कार्यदिवस में नियमानुसार राशि के स्टाम्प पर एक करार पत्र निष्पादित करना आवश्यक हैं। अनुबंध करार निम्न प्रकार किया जावेगा :-
 - (i) यदि निविदा निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु)/ द्वारा दी गई है तो अनुबंध स्वयं निर्माता द्वारा अभिलिखित किया जावेगा।
 - (ii) यदि निविदा, निर्माता/वास्तविक निर्माता के अधिकृत डीलर द्वारा दी गयी है जिसे विशेष तौर पर इस निविदा हेतु अधिकृत किया गया है तो अनुबंध करार अधिकृत डीलर द्वारा किया जावेगा।
 - (iii) यदि निविदा वास्तविक निर्माता के अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा दी गयी है तो अनुबंध करार वास्तविक निर्माता के द्वारा किया जावेगा एवं निविदा के साथ वांछित सभी प्रपत्र निर्माता के द्वारा ही प्रस्तुत किये जायेंगे।
 - (iv) करार पत्र के निर्धारित प्रारूप में निर्धारित अवधि में अनुबंध निष्पादन नहीं करने पर राजस्थान लोक सेवाओं में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 76 के तहत कार्यवाही की जावेगी।
- (ब) (i) करार पत्र के साथ जिस सामान के लिए बोली स्वीकार की गई है, उसके लिए तत्समय प्रभावी राजकीय नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि निर्धारित समय में एवं निर्धारित रूप में जमा करानी होगी :-
 - (ii) उक्त सुरक्षा राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
 - (iii) उक्त सुरक्षा राशि अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, अभियोजन विभाग, जयपुर के नाम से निम्न रूप में दी जा सकेगी :-
 - (क) ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा "
 - (ख) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक

Digitally signed by Kamal Kumar Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2025.09.19 15:21:14 IST
Reason: Approved

(ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखित, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।

(घ) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियों। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।

(ङ.) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित (discharged) की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद की मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा एवं ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहत कर ली जायेगी।

2. खण्ड ख से ड. के प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारन्टी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदा संबंधी बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी।

नोट:- अनुबंध पत्र के साथ एन.एस.सी./पासबुक/डिफेंस बचत पत्र /किसान विकास पत्र आदि Pledge की हुई प्रस्तुत करना आवश्यक है।

3. संविदा को सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारन्टी अवधि (यदि कोई हो तो) की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरुद्ध कोई देय बकाया (Outstanding dues) नहीं है, निम्न अवधि में कार्य सम्पादन प्रतिभूति का प्रतिदाय (Refund) किया जाएगा।

(क) एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार आइटम की अंतिम सप्लाई या गारन्टी की अवधि समाप्ति, जो बाद में हो, से एक माह के भीतर।

(ख) यदि माल की सप्लाई को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो अंतिम सप्लाई या गारन्टी अवधि की समाप्ति, जो बाद में हो, के दो माह के भीतर।

4. **कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Security Deposit) :-** सुरक्षा राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जाएगा :-

(क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) जब निविदादाता सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। सुरक्षा राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

5. निविदादाता द्वारा करार के निष्पादन के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएंगे :-

(अ) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (Partnership Deed) की एक अभिप्रमाणित प्रति।

(ब) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत है तो उसका वर्ष।

(स) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास तथा कार्यालय का पूर्ण टेलीफोन नंबर।

(द) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

6. साझेदारी फर्म/कम्पनी की स्थिति में निविदा एवं अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकृत करने सम्बन्धी अधिकार पत्र फर्म/कम्पनी द्वारा संलग्न किया जाये।

34. **बीमा :-** बोलीदाता द्वारा सामान गंतव्य स्थान पर सही दशा में सुपुर्द किये जाएंगे। यदि सप्लायर चाहे तो मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (युद्ध, दंगे, विद्रोह आदि द्वारा) हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग/राज्य सरकार से इन प्रभारों के भुगतान की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

35. **भुगतान:-**

- (i) सप्लायर द्वारा सप्लाई किये गये माल के संबंध में, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाएगा।
- (ii) माल के भुगतान करने पर किये गये प्रेषण प्रभार (Remittance Charges) निविदादाता द्वारा वहन किए जावेगे।
- (iii) विवादस्पद आईटम के संबंध में 10% से 25% तक राशि रोकी जाएगी तथा विवाद का निपटारा हो जाने पर ही उसका भुगतान किया जा सकेगा।
- (iv) उन मामलों में जिनमें परीक्षण की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब विहित परीक्षण कर लिये जाएंगे तथा परीक्षण से प्राप्त परिणाम विहित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप होंगे।
- (v) संविदा पत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट अवधि को संविदा के सार के रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता, विभाग से प्रदायगी आदेश जारी होने पर, निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई पूर्ण करेगा।
- (vi) जीएसटी नियमों के अनुसार जीएसटी पर टीडीएस काटकर भुगतान किया जायेगा।

(vii) **परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damage) :-** परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है :-

- (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए - 2.5%
- (ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए - 5%
- (ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक के लिए - 7.5%
- (घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अवधि के विलम्ब के लिए - 10%
- (ङ) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा।
- (च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी।

- (छ) यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह, उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
- (ज) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

नोट : प्रदायगी अवधि के अन्तिम तिथि को राजपत्रित अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस को मध्याह्न पूर्व तक प्रदायगी करने पर परिनिर्धारित क्षति की वसूली नहीं की जावेगी।

वसूलियाँ:- परिनिर्धारित क्षति, कम सप्लाई, टूट फूट रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाई, टूट फूट, रद्द की गयी वस्तुओं की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक दस्तावेज नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (L.D.) के साथ वसूली उसके द्वारा राशि (Dues) विभाग के पास उपलब्ध कार्यसम्पादन प्रतिभूति से की जायेगी। यदि निविदादाता Joint Director राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अधीन है तो

Signature Not Verified

Digitally signed by Kamal Kumar Sharma

Designation: Joint Director

Date: 2025.09.19 15:21:14 IST

Reason: Approved

36. बोलीदाताओं को यदि आवश्यक हो तो, आयात लाईसेन्स प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी होगी।

37. बोलीदाता को बिड स्पेसिफिकेशन की Compliance के प्रमाण स्वरूप OEM के लेटर हैड पर Bid Specification with conditions Compliance Sheet संलग्न करनी होगी।

38. निविदादाता को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 13 (4) के प्रावधानों एवं संबंधित परिपत्रों की पालना करना आवश्यक है। इस हेतु निविदा के साथ Annexure 6 में उल्लेखित प्रारूप में Undertaking संलग्न करना आवश्यक है।

39. बोली शर्तों के अतिरिक्त कोई शर्त स्वीकार नहीं की जावेगी। यदि बोलीदाता ऐसी शर्त आरोपित करता है, जो बोली शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में निविदादाता द्वारा दी गई शर्तों को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि विभाग द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति पत्र में विशेष रूप से उसको उल्लेखित नहीं कर दिया गया हो।

40. विभाग के पास किसी भी निविदा को स्वीकार करने, बिना कारण बताये रद्द करने या निविदा सूचना में अंकित किसी भी आईटम को एक से अधिक सप्लायर को वितरित करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।

41. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो, किसी भी पक्षकार (सरकार या बोलीदाता) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।

42. बोली प्रस्तुत करने के बाद बोली के सम्बन्ध में बोलीदाता/उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जिसके हस्ताक्षर प्रमाणित किये हुये हैं, द्वारा किये गये पत्र व्यवहार ही स्वीकार्य होंगे।

43. मूल बोली प्रपत्रों के अतिरिक्त जिन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां चाही जा रही हैं वह नोटरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी अथवा स्वयं बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित की जानी आवश्यक है अन्यथा उक्त प्रतिलिपि/प्रतिलिपियां मान्य नहीं होगी।

44. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि तक वैध होने चाहिए।

45. वारंटी अवधि के दौरान दोषों की समय पर सर्विसिंग/सुधार : वारंटी अवधि के दौरान दोषों/सेवा की आवश्यकता के बारे में सूचित किये जाने के बाद, विक्रेता को 1 व्यावसायिक दिन की समय सीमा के भीतर आवश्यक सेवा/सुधार पूरा करना होगा। यदि विक्रेता निर्धारित समय सीमा में सेवा/सुधार पूरा करने में विफल रहता है, तो विक्रेता से देरी के लिये प्रतिदिन 100/- जुर्माना के रूप में लिया जाएगा। विक्रेता सीधे क्रेता के पास जुर्माना जमा करा सकता है अन्यथा क्रेता को प्रदर्शन सुरक्षा (पीबीजी) से ऐसी सभी जुर्माना राशि वसूलने का अधिकार होगा। संचयी जुर्माना कुल अनुबंध मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता जिसके बाद क्रेता को पीबीजी की जब्ती के अलावा विक्रेता के जोखिम और लागत पर वैकल्पिक स्रोतों से सेवा/सुधार कराने का अधिकार होगा। विक्रेता क्रेता को ऐसी सेवा/सुधार की लागत की प्रतिपूर्ति करने के सक्षम होगा।

46. राजस्थान राज्य लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देश/परिपत्र/नियम निविदा के भाग के रूप में समझे जावेंगे।

47. निविदादाता का यह दायित्व होगा कि वह निविदा में वांछित स्पेसिफिकेशन एवं शर्तों का भली प्रकार से अध्ययन करे। निविदा शर्त 37 में चाही गई Bid Specification Compliance Sheet पर यदि निविदादाता/ओईएम द्वारा स्पेसिफिकेशन की अभिस्वीकृति के फलस्वरूप Yes अंकित किया जाता है एवं उक्त आधार पर फर्म को तकनीकी निविदा में उद्देश्य कार्यदेश जारी कर दिया जाता है एवं आपूर्ति के समय जांच के दौरान यह जांच कि फर्म द्वारा आपूर्ति किया गया आईटम बिड स्पेसिफिकेशन में उद्देश्य कार्यदेश प्राप्त किया जा चुका है एवं निविदादाता द्वारा गलत Compliance Sheet प्रस्तुत कर कार्यदेश प्राप्त किया जा चुका है

Digitally signed by Kamal Kumar Sharma
Date: 2025.09.19 15:21:14 IST
Reason: Approved

स्थिति में आपूर्ति स्वीकार नहीं की जावेगी। समस्त बोली प्रतिभूति जब्त कर ली जावेगी एवं नियमानुसार निविदादाता को ब्लैकलिस्ट करने की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर,
(बोली की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण—स्वरूप)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kamal Kumar
Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2025.09.19 15:21:14 IST
Reason: Approved

कार्यालय अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, अभियोजन विभाग, राजस्थान जयपुर
(बोली प्रपत्र-क्वालीफाईंग बिड)

Annexure B

ई-बोली आमंत्रण सूचना संख्या 03/2025-26

दिनांक :-

- (i) Computer with UPS and Printer आपूर्ति के लिए ई- बोली (e-Bid)
- (ii) बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पूर्ण पता
.....
.....
दूरभाष.न. मोबाईल न., फैक्स नम्बर ई-मेल सहित :-
.....
.....
- (iii) बोली जिसे प्रस्तुत करनी है :- अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, अभियोजन विभाग, राजस्थान जयपुर
- (iv) बोली प्रतिभूति राशि रु. 1,90,000/- रुपये चालान न.
दिनांक द्वारा जमा करा दी गई है ।
- (v) बोली प्रपत्र शुल्क :-राशि 2000/- रुपये चालान न.
दिनांक द्वारा जमा करा दी गई है ।
- (vi) प्रोसेसिंग फीस :- राशि 1500/- रुपये चालान न.दिनांक
जमा करा दी है ।
- (vii) हम ई-बोली आमंत्रण सूचना संख्या 03/2025-26 दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से तथा विभागीय शर्तों से संबंधित परिशिष्टों में वर्णित शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। उक्त परिशिष्टों के समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को स्वीकार किये जाने के प्रमाण-स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा दोनों परिशिष्ट हस्ताक्षर शुदा संलग्न हैं।
- (viii) हम सहमत हैं कि विभाग द्वारा ई-बोली सूचना में अंकित सप्लाय अवधि में समस्त माल की सुपुर्दगी कर दी जाएगी।
- (ix) हम सम्पुष्टि करते हैं कि "प्राईस बिड" में अंकित की गई दरें "प्राईस बिड" खुलने की तिथि से 90 दिन तक विधि मान्य होगी।
- (x) हम सम्पुष्टि करते हैं कि "प्राईस बिड" में अंकित दरें विभागीय Annexure D में अंकित स्पेसिफिकेशन के लिये हैं ।
- (xi) हमारा जीएसटी पंजीयन संख्या है।
- (xii) हम सम्पुष्टि करते हैं कि प्राईस बिड स्वीकार होने के बाद निर्धारित प्राप्ति तिथि में निर्धारित प्रारूप एवं निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर पर करार निष्पादन करने के अभाव में बोली निरस्त योग्य है।
- (xiii) हम सम्पुष्टि करते हैं कि आवश्यक दस्तावेज के अभाव में बोली निरस्त होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kamal Kumar Sharma
Designation: Joint Director
Date: 2025.09.19 15:21:14 IST
Reason: Approved

आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये गये है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

S.N.	Type of Certificate & Other informations	Yes/ No
1.	Whether E- challan copy for submitting Bid document fee, Bid Security and RISL processing fee is submitted with e-Bid. Provide detail of e-Challan no. dt.....	
2.	Whether All schedules and Enclosures have been downloaded, signed and submitted with e-Bid	
3.	Whether GST registration certificate is submitted with e-Bid	
4.	Whether Income Tax PAN CARD Copy is submitted with e-Bid	
5.	Whether desired Bidder Turnover Certificate (issued by CA) is submitted with e-Bid. (As per Bid Condition No. 5.4)	
6.	Whether desired OEM Turnover Certificate (issued by CA) is submitted with e-Bid. (As per Bid Condition No. 5.5) and related certificate.	
7.	Whether Bidder is Manufacturer/ Authorized dealer / Channel Partner or not? Attach Necessary Certificate in Annexure-1	
8.	Whether Certificate of firm for not being Blacklisted and debarred, by any Govt Deptt/PSUs is submitted with e-Bid. (Annexure 2- Qualifications) (As per Bid Condition No. 5.6) must be submitted on affidavit of Rs. 500/-	
9.	Whether Bid Specification Compliance Sheet (As per bid condition No. 37) is enclosed.	
10.	Whether Documents of Experience is enclosed (As per Bid Condition No. 5.7)	
11.	Whether Certificate of Conformity/ No Daviation (Annexure 3) is Enclosed	
12.	Whether Manufacturers Authorization Form (Annexure 4) enclosed. (As per bid Condition No. 5.8)	
13.	Whether Undertaking on Authenticity of Equipment (Annexure 5) is Enclosed	
14.	Whether Undertaking (Annexure 6) is enclosed regarding Prior Registration of Bidders from the countries sharing land border with India. (As per Bid Condition No. 38)	
15.	Whether Documents regarding service centre in Rajasthan is submitted (As per bid Condition No. 5.9)	
16.	Whether Undertaking from OEM is submitted (As per bid Condition No. 5.10)	

(XIV) हमारे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेज हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में है तब तक प्रमाणित नहीं किया जा सकता है जो कि प्रमाणित रूप में होने पर उनका हिन्दी अथवा अंग्रेजी का प्रमाणित रूपान्तरण प्रमाणित किया जा सकता है।

(XV) हम सम्पुष्टि करते हैं कि प्राईस बिड हमारे द्वारा ई-बोली प्रमाणित तरीके से प्रमाणित किया जा सकता है। (Excel Sheet) में प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kamal Kumar Sharma

Designation : Joint Director

Date: 2025.09.19 15:21:14 IST
Reason: Approved

नोट :-

- 1 Annexure B क्वालीफाईंग बिड है क्वालीफाईंग बिड के साथ समस्त प्रमाण पत्र / परिशिष्ट, अनुलग्नक डाउनलोड करके उस पर हस्ताक्षर उपरान्त ई- बोली के साथ स्कैन कर अपलोड करना होगा।
- 2 निविदा के साथ वे ही दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें जो निविदा शर्तों के अनुसार आवश्यक हैं। निविदा के साथ अनावश्यक दस्तावेज संलग्न किया जाना निविदादाता की निरर्हता मानी जा सकती है।
- 3 Annexure C प्राईस बिड है उसे ई-बोली में निर्धारित प्रारूप में भरा जावे। तकनीकी बिड में योग्य पाये गये बोलीदाताओं की ही प्राईस बिड खोली जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kamal Kumar
Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2025.09.19 15:21:14 IST
Reason: Approved

Annexure C
(बोली प्रपत्र-प्राईस बिड)

नोट :- दरे ई-बिडिंग के निर्धारित फोरमेट BOQ (Excel Sheet) में ही दी जावे।

अभियोजन निदेशालय एवं अधीनस्थन कार्यालयों के उपयोगार्थ ई संसाधनों के क्रय किये जाने हेतु।

Ref. NIT No. भ.भण्डार 14(7)(1) नये कम्प्यूटर क्रय/अभि./25 Jaipur, dated 23-09-2025

Tender Inviting Authority: अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, अभियोजन विभाग, राजस्थान जयपुर				
Name of Work : अभियोजन निदेशालय एवं अधीनस्थन कार्यालयों के उपयोगार्थ ई संसाधनों के क्रय किये जाने हेतु।				
Contract No: Ref. NIT No. भ.भण्डार 14(7)(1) नये कम्प्यूटर क्रय/अभि./25 Jaipur, dated 23-09-2025				
Bidder Name :				
SCHEDULE OF WORKS				
S.No.	Name of Item	Price per Unit	GST Amout	Total Amount
1.	उन्नत मॉडल डेस्टॉप कम्प्यूटर मय यूपीएस	xxx	xxx	xxx
2.	मल्टीफंक्शन प्रिंटर स्कैनर लीगल साईज	xxxx	xxxx	xxx

- नोट.
- 1st मूल दर एवं जीएसटी की राशि अलग-अलग कॉलम्स में से दर्शायी जावे।
 2. दरे सभी करों सहित दर्शायी जावें।
 3. न्यूनतम दरों का निर्धारण कुल आईटम (क्रम संख्या 01 व 02 के योग के आधार पर) के प्राप्त न्यूनतम दरों के आधार पर किया जावेगा।

1. निविदादाता का नाम
2. डाक का पता
3. टेलीफोन नं. (दुकान) (मोबाईल) जयपुर दिनांक

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kamal Kumar Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2025.09.19 15:21:14 IST
Reason: Approved

Technical Specification

S.N.	क्रय किये जाने वाले आईटम का मुख्य विनिर्देश एवं विवरण		Appro. Qnty
1.	Component	Required Configuration	100 नग मय यूपीएस
	2	3	
	Processor	Intel i5 (14 Generation) 10 Core or Higher, with Minimum 2.5 GHz or Higher(Base Frequency), 20 MB cache or higher 14th or higher generation and to be certified by OEM	
	Chipset	Compatible Chipset	
	Operating System	1- Pre-intalled OEM Certified Genuine Microsoft Windows 11 Professional 64 bit or higher 2- Recovery partition (applicable for windows)	
	Memory (RAM)	8 GB DDR5 4400MHZ or Higher with 64 GB Expandability	
	Storage	512 GB GB SSD	
	Graphics	Integrated HD Graphic card or higher	
	Ports	Minimum 5 USB ports with at least 2 USB 3.0 or higher ports, HDMI Dispaly port, audio jack for headphone & microphone	
	Display	Minimum 21" with or higher, Resolution 1600 x 900 or higher Display	
	Antivirus	Minimum 3years Subscription Antivirus with protection for Ransomware, Browsing ,Phishing along with OEM undertaking to be provided.	
	Certification	BIS(for Monitor only)	
	Compliance	RoHS	
	Keyboard And Mouse	USB Keyboard & USB two button optical mouse with Mouse Pad(Same make as Desktop)	
	Network Interface	Integrated 10/100/1000 GB Ethernet,Integrated 802.11 ac WiFi and BlueTooth 5.0 or higher	
	Form Factor	SFF/MT	
	Accessories	All necessary cables (Power & data cables) to be included	
	Security	2.0 TPM (Hardware/Firmware)	
	Expansion Slots	Minimum two PCIe Slots	
	Warranty	3 Years Comprehensive on site OEM	
	UPS		

Signature Not Verified

Digitally signed by Kamal Kumar Sharma

Designation : Joint Director

Date: 2025.09.19 15:21:14 IST

Reason: Approved

UPS Capacity	1 KVA
Mode	Line interactive
Protection	Full Protection
Voltage	230V/50 Hz
Range	170V- 270V
Power Factor	0.6 or Higher
Back Up Time	168 VAH for 20 Minutes back upon 1 PC (In built Batteries)
Indicator	Main On/ On Battery/ Low Battery/ Fault/ Overload
Plug and Cable	As per standard
Battery Type	Sealed Lead Acid Valve Regulated
Alarm	On Battery/ Fault Over Load, Low Battery
Certifications	BIS, ISO 9001
Test Report	OEM should submit test report for the quoted model issued by State/Central laboratory/ NABL accredited labs (not old from last 5 years)
Warranty	3 Years Comprehensive on site OEM warranty
अथवा	
Component	Required Configuration
2	3
Processor	Ryzen 5, 6 Core or Higher, with Minimum 2.7 GHz or Higher(Base Frequency), 22 MB cache or higher with 8000 Series or higher and to be certified by OEM
Chipset	AMD
Operating System	1- Pre-installed OEM Certified Genuine Microsoft Windows 11 Professional 64 bit or higher 2- Recovery partition (applicable for windows)
Memory (RAM)	8 GB DDR5 4400MHZ or Higher with 64 GB Expandability
Storage	512 GB GB SSD
Graphics	Integrated HD Graphic card or higher
Ports	Minimum 5 USB ports with at least 2 USB 3.0 or higher ports.

100 नग
मय यूपीएस

Digitally signed by Kamal Kumar Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2025.09.19 16:21:14 IST

Signature Not Verified

100 नग
मय यूपीएस

Signature Not Verified

Digitally signed by Kamal Kumar Sharma

Designation : Joint Director

Date: 2023.09.19 16:21:14 IST

Reason: Approved

		HDMI Display port, audio jack for headphone & microphone		
Display		Minimum 21" with or higher, Resolution 1600 x 900 or higher Display		
Antivirus		Minimum 3years Subscription Antivirus with protection for Ransomware, Browsing ,Phishing along with OEM undertaking to be provided.		
Certification		BIS(for Monitor only)		
Compliance		RoHS		
Keyboard And Mouse		USB Keyboard & USB two button optical mouse with Mouse Pad(Same make as Desktop)		
Network Interface		Integrated 10/100/1000 GB Ethernet,Integrated 802.11 ac WiFi and BlueTooth 5.0 or higher		
Form Factor		SFF/MT		
Accessories		All necessary cables (Power & data cables) to be included		
Security		2.0 TPM (Hardware/Firmware)		
Expansion Slots		Minimum two PCIe Slots		
Warranty		3 Years Comprehensive on site OEM warranty		
UPS				
UPS Capacity		1 KVA		
Mode		Line interactive		
Protection		Full Protection		
Voltage		230V/50 Hz		
Range		170V- 270V		
Power Factor		0.6 or Higher		
Back Up Time		168 VAH for 20 Minutes back upon 1 PC (In built Bateriaes)		
Indicator		Main On/ On Battery/ Low Battery/ Fault/ Overload		
Plug and Cable		As per standard		
Battery Type		Sealed Lead Acid Valve Regulated		
Alarm		On Battery/ Fault Over Load, Low Battery		
Certifications		BIS, ISO 9001		
Test Report		OEM should submit test report for the quob - issued by State/Central laboratory/ NABL accre - lab - not old from last 5 years)		
Warranty		3 Years Comprehensive on site OEM warranty		

Signature Not Verified

Digitally signed by Kamal Kumar Sharma

Designation : Joint Director

Date: 2025.09.19 15:21:14 IST

Reason: Approved

2.	Printer with Scanner		100 नग
	Fuctions	Print, Scan, Copy	
	Printing Technology	Laser	
	Print Speed (Minimum)	25 ppm (Mono) or higher	
	Paper Size	A4 and Above (Legal)	
	Print resolution	600*600 dpi Or higher	
	Duplex	Auto	
	Memory	64 MB or higher	
	Display	Yes	
	Connectivity	USB, Ethernet , WiFi	
	Duty Cycle (Monthly)	8000 pagges or higher	
	Copy Speed	10 PPM or Higher	
	Copy Resolution	600*600 dpi Or higher	
	Scan file Format	PDF , JPEG etc.	
	Scan resolution	600*600 dpi Or higher	
	Scane Type	FLATBED with ADF/DADF or Better	
	Input paper tray capacity	150 Pages or higher	
	Compatibel OS	Windows, Linux	
	Cables/Accessories	All the required cables, accessories	
	Software Media	Driver and Utility software	
	Certification	BIS	
	Compliance	RoHS	
	Warranty	3 Years Comprehensive on site OEM warranty	

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement procesas shall –

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit, directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement procesas or to otherwise influence the procurement procesas;

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Kumar Sharma
 Designation : Joint Director
 Date: 2025.09.19 15:21:14 IST
 Reason: Approved

- (b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- (i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :
 - a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
 - b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or
 - d. Have a relationship with each other, directly or through a common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
 - f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
 - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Signature Not Verified

Digitally signed by Kamal Kumar Sharma
 Designation : Joint Director
 Date: 2025.09.19 15:21:14 IST
 Reason: Approved

Grievance Redressal during Procurement Process:

The designation and address of the first Appellate Authority is – निदेशक अभियोजन, अभियोजन विभाग, कमरा नं० 7104, खाद्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।

The designation and address of the Second Appellate Authority is- शासन सचिव, गृह (विधि), कमरा नं० 7104, खाद्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

- (a) Determination of need of procurement.
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations.
- (d) Cancellation of a procurement process.
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

Signature Not Verified

Digitally signed by Kamal Kumar Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2025.09.19 15:21:14 IST
Reason: Approved

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through a registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –
 - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature Not Verified

Digitally signed by Kamal Kumar Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2025.09.19 15:21:14 IST
Reason: Approved

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public
Procurement Act, 2012**

Appeal No. of

Before the (First/Second Appellate
Authority)

1. Particulars of appellant:

- (i) Name of the appellant:
- (ii) Official address, if any:
- (iii) Residential address:

2. Name and address of
the respondent(s) (i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy) or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal of the representative:

5. Number of Affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal :

.....
..... (Supported by an
affidavit)

7. Prayer :

.....
.....
.....

Place

Date

Signature Not Verified

Digitally signed by Kamal Kumar
Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2025.09.19 15:21:14 IST
Reason: Approved

ANNEXURE-1: DECLARATION BY BIDDER (To be signed by bidders)

I/ We declare that I am/we are Manufacturers / Authorised dealer/ Channel Partner in the goods/stores/ equipment for which I/ We have quoted.

If this declaration is found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken, my/ our security may be forfeited in full and the bid, if any, to the extent accepted may be cancelled.

Name of the Bidder:-

Authorised Signatory: -

Seal of the Organization:-

Date:

Place:

Signature Not Verified

Digitally signed by Kamal Kumar
Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2025.09.19 15:21:14 IST
Reason: Approved

ANNEXURE 2: DECLARATION BY THE BIDDER REGARDING QUALIFICATIONS

In relation to my/our Bid submitted toFor Procurement ofin response to their Notice Inviting Bids No...Dated I/ we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that:-

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/ our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. / we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document which materially affects fair competition.
6. 1/ we will comply with the code of integrity as specified in the bidding document

If this declaration is found to be incorrect, then without prejudice to any other action that may be taken as per the provisions of the applicable Act and Rules thereto prescribed by GoR, my/ our security may be forfeited in full and our bid, to the extent accepted, may be cancelled.

Date:

Signature of bidder

Place:

Name:

Designation:

Signature Not Verified

Address:

Digitally signed by Kamal Kumar Sharma

Designation : Joint Director

Date: 2025.09.19 15:21:14 IST

Reason: Approved

ANNEXURE-3: CERTIFICATE OF CONFORMITY/NO DEVIATION

(to be filled by the bidder)

To.

Additional Director Prosecution,
Prosecution Department,
Rajasthan, Jaipur

CERTIFICATE

This is to certify that, the specifications of Hardware & Software which I/ We have mentioned in the Technical bid, and which I/ We shall supply if I/ We/ am/ are awarded with the work, are in conformity with the minimum technical specifications of the bidding document and that there are no deviations of any kind from the required specifications.

Also, I/ we have thoroughly read the bidding document and by signing this certificate, we hereby submit our token of unconditional acceptance to all the terms & conditions of the bidding document without any deviations and assumptions.

I/We also certify that the price I/ we have quoted is inclusive of all the cost factors involved in the end- to-end implementation and execution of the project, to meet the desired Standards set out in the bidding Document.

Thanking you,

Name of the Bidder: -

Authorised Signatory:

Seal of the Organization:

Date:

Place:

Signature Not Verified

Digitally signed by Kamal Kumar
Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2025.09.19 15:21:14 IST
Reason: Approved

ANNEXURE-4: MANUFACTURER'S AUTHORIZATION FORM (MAF)

(To be filled by the OEM)

(Indicative Format)

To.

Additional Director Prosecution,
Prosecution Department,
Rajasthan, Jaipur

Subject: Issue of the Manufacturer's Authorisation Form (MAF)

Reference: NIB/RFP Ref. No.

dated

Sir.

We (name and address of the OEM) who are established and reputed original equipment manufacturers (OEMS) having factories at addresses of manufacturing location, do hereby authorize (M/s who is our (Distributor/Channel Partner/Retailer/ Others <please specify) to bid, negotiate and conclude the contract with you against the aforementioned reference for the following Hardware/Software/ other items manufactured by us

OEM will mention the details of all the proposed product(s) with their make/model.

We undertake to provide OEM Warranty for the offered Hardware/ Software/ other items, as mentioned above.

We hereby confirm that the offered Hardware/ Software/ other items are as per specification mentioned in the RFP.

We hereby confirm that the offered Hardware/Software/ other items is not likely to be declared as End-of-Sale within next 6 months from the date of bid submission.

We hereby confirm that the offered Hardware/Software/ other items is not likely to be declared as End-of-Service/Support within Warranty Period.

Yours faithfully,

For and on behalf of M/s (Name of the manufacturer)

(Authorized Signatory)

Name,
Designation & Contact No.:
Address with Seal

Signature Not Verified

Digitally signed by Kamal Kumar
Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2025.09.19 15:21:14 IST
Reason: Approved

ANNEXURE-5: UNDERTAKING ON AUTHENTICITY OF EQUIPMENT

To.

Additional Director Prosecution,
Prosecution Department,
Rajasthan, Jaipur

Reference: NIB No.:

I/ We hereby undertake that all the components/parts/assembly/ software used in the equipment shall be Genuine, original and new components /parts/assembly/software from respective OEMs of the products and that no refurnished/duplicate/ second hand components/parts/assembly/ software are being used or shall be used. in respect of licensed operating system, we undertake that the same shall be supplied along with the authorized license certificate with our name/logo. Also, that it shall be sourced from the authorized source for use in India.

In case, we are found not complying with above at the time of delivery or during installation, for the equipment already billed, we agree to take back the equipment already supplied at our cost and return any amount paid to us by you in this regard and that you will have the right to forfeit our Bid Security/ PSD for this bid or debar/ black list us or take suitable action against us.

Authorized Signatory

Name:

Designation:

Signature Not Verified

Digitally signed by Kamal Kumar
Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2025.09.19 15:21:14 IST
Reason: Approved

ANNEXURE-6: UNDERTAKING ON COMPLIANCE TO LAND BORDER POLICY

To.

Additional Director Prosecution,
Prosecution Department,
Rajasthan, Jaipur

Reference: NIB No.:

In response to the NIB Ref no.....dated..... I/ We hereby undertake that presently our company/firm.....at the time of bidding comply with sub rule 4 under RTPP Rules 2013 and order of FD Rajasthan dated 30.03.2021, 15.01.2021 & Other related circulars. If this declaration is found to be incorrect than without prejudice to any other action that may be taken as per the provisions of the applicable act and rules thereto prescribed by Government of Rajasthan, My/Our security may be forfeited in full and our bid, to the extent accepted, may be cancelled.

Authorized Signatory

Name:

Designation:

Signature Not Verified

Digitally signed by Kamal Kumar
Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2025.09.19 15:21:14 IST
Reason: Approved

Annexure-E

(For Computer with UPS 100 piece and Printer 100 piece Supply and installation)

क्र.स.	कार्यालय का नाम/सूपूर्दगी स्थान	कम्प्यूटर मय यूपीएस	Printer
1	अभियोजन निदेशालय, जयपुर	28	10
3	उप निदे. अभि. अजमेर		1
4	उप निदे. अभि. अलवर	2	1
5	उप निदे. अभि. भिवाड़ी		1
6	उप निदे. अभि. बांसवाडा(TSP)	2	1
7	उप निदे. अभि. बांरा	1	1
8	उप निदे. अभि. बाडमेर	3	1
9	संयुक्त निदे. अभि. भरतपुर	2	
10	उप निदे. अभि. भरतपुर		1
11	उप निदे. अभि. भीलवाड़ा		1
12	संयुक्त निदे. अभि. बीकानेर	1	
13	उप निदे. अभि. बीकानेर	1	1
14	उप निदे. अभि. बून्दी	1	1
15	उप निदे. अभि. चित्तौडगढ़		1
16	उप निदे. अभि. चुरू	1	1
17	उप निदे. अभि. धौलपुर	1	1
18	उप निदे. अभि. दौसा		1
19	उप निदे. अभि. डूंगरपूर (TSP)		1
20	उप निदे. अभि. श्रीगंगानगर	1	1
21	उप निदे. अभि. हनुमानगढ़		1
24	संयुक्त निदे. अभि. जयपुर द्वितीय	1	
25	उप निदे. अभि. जयपुर प्रथम		1
26	उप निदे. अभि. जयपुर द्वितीय	1	1
27	उप निदे. अभि. जयपुर देहात		1
28	उप निदे. अभि. जैसलमेर	3	1
29	उप निदे. अभि. जालौर	2	1
30	उप निदे. अभि. झालावाड़	1	1
31	उप निदे. अभि. झुन्झुनु		1
34	उप निदे. अभि. जोधपुर		1
35	उप निदे. अभि. करौली		
37	उप निदे. अभि. कोटा		1
38	उप निदे. अभि. नागौर		
39	उप निदे. अभि. पाली	1	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kamal Kumar
Sharma

Designation : Joint Director
Date: 2025.09.19 15:21:14 IST
Reason: Approved

40	उप निदे. अभि. प्रतापगढ़ (TSP)	1	1
41	उप निदे. अभि. राजसमन्द	1	1
42	उप निदे. अभि. सवाई माधोपुर	1	1
43	उप निदे. अभि. सीकर	1	1
44	उप निदे. अभि. सिरोही	1	1
45	उप निदे. अभि. टोंक		1
47	उप निदे. अभि. उदयपुर		1
	योग	58	46

क्र.स.	कम्प्यूटर मय यूपीएस एवं प्रिन्टर आवंटित कार्यालय का नाम	सूपूर्दगी स्थान	कम्प्यूटर मय यूपीएस	PRINTER
1	उपनिदेशक अभियोजन, ब्यावर	उपनिदेशक अभियोजन, अजमेर	1	1
2	उपनिदेशक अभियोजन, डीडवाना-कुचामन	उपनिदेशक अभियोजन, नागौर	1	1
3	उपनिदेशक अभियोजन, डीग	उपनिदेशक अभियोजन, भरतपुर	1	1
4	उपनिदेशक अभियोजन, कोटपूतली-बहरोड	उपनिदेशक अभियोजन, जयपुर देहात	1	1
5	उपनिदेशक अभियोजन, खैरथल- तिजारा	उपनिदेशक अभियोजन, अलवर	1	1
6	उपनिदेशक अभियोजन, बालोतरा	उपनिदेशक अभियोजन, बाडमेर	1	1
7	उपनिदेशक अभियोजन, फलोदी	उपनिदेशक अभियोजन, जोधपुर	1	1
8	उपनिदेशक अभियोजन, सलूमबर	उपनिदेशक अभियोजन, उदयपुर	1	1
		योग	8	8

क्र.स.	कार्यालय का नाम/सूपूर्दगी स्थान	कम्प्यूटर मय यूपी एस
1	किशोर न्याय बोर्ड, अजमेर (पद सहायक निदेशक अभियोजन)	1
2	किशोर न्याय बोर्ड, अलवर (पद सहायक निदेशक अभियोजन)	1
3	किशोर न्याय बोर्ड, बांसवाडा (पद सहायक निदेशक अभियोजन)	1
4	किशोर न्याय बोर्ड, बारां (पद सहायक निदेशक अभियोजन)	1
5	किशोर न्याय बोर्ड, बाडमेर (पद सहायक निदेशक अभियोजन)	1
6	किशोर न्याय बोर्ड, भरतपुर (पद सहायक निदेशक अभियोजन)	1
7	किशोर न्याय बोर्ड, भीलवाडा (पद सहायक निदेशक अभियोजन)	1
8	किशोर न्याय बोर्ड, बीकानेर (पद सहायक निदेशक अभियोजन)	1
9	किशोर न्याय बोर्ड, बून्दी (पद सहायक निदेशक अभियोजन)	1
10	किशोर न्याय बोर्ड, चित्तौड़गढ़ (पद सहायक निदेशक अभियोजन)	1
11	किशोर न्याय बोर्ड, चूरु (पद सहायक निदेशक अभियोजन)	1
12	किशोर न्याय बोर्ड, दौसा (पद सहायक निदेशक अभियोजन)	1
13	किशोर न्याय बोर्ड, धौलपुर (पद सहायक निदेशक अभियोजन)	1

Signature Not Verified

Digitally signed by Kamal Kumar

Sharma

Designation : Joint Director

Date: 2025.09.19 15:21:14 IST

Reason: Approved

14	किशोर न्याय बोर्ड, गंगानगर (पद सहायक निदेशक अभियोजन)	1
15	किशोर न्याय बोर्ड, हनुमानगढ (पद सहायक निदेशक अभियोजन)	1
16	किशोर न्याय बोर्ड, जयपुर प्रथम (पद सहायक निदेशक अभियोजन)	1
17	किशोर न्याय बोर्ड, जयपुर द्वितीय (पद सहायक निदेशक अभियोजन)	1
18	किशोर न्याय बोर्ड, जैसलमेर (पद सहायक निदेशक अभियोजन)	1
19	किशोर न्याय बोर्ड, जालौर (पद सहायक निदेशक अभियोजन)	1
20	किशोर न्याय बोर्ड, झालावाड (पद सहायक निदेशक अभियोजन)	1
21	किशोर न्याय बोर्ड, झुंझुनू (पद सहायक निदेशक अभियोजन)	1
22	किशोर न्याय बोर्ड, जोधपुर (पद सहायक निदेशक अभियोजन)	1
23	किशोर न्याय बोर्ड, करौली (पद सहायक निदेशक अभियोजन)	1
24	किशोर न्याय बोर्ड, कोटा (पद सहायक निदेशक अभियोजन)	1
25	किशोर न्याय बोर्ड, नागौर (पद सहायक निदेशक अभियोजन)	1
26	किशोर न्याय बोर्ड, पाली (पद सहायक निदेशक अभियोजन)	1
27	किशोर न्याय बोर्ड, प्रतापगढ (पद सहायक निदेशक अभियोजन)	1
28	किशोर न्याय बोर्ड, राजसमन्द (पद सहायक निदेशक अभियोजन)	1
29	किशोर न्याय बोर्ड, सवाईमाधोपुर (पद सहायक निदेशक अभियोजन)	1
30	किशोर न्याय बोर्ड, सीकर (पद सहायक निदेशक अभियोजन)	1
31	किशोर न्याय बोर्ड, सिरोही (पद सहायक निदेशक अभियोजन)	1
32	किशोर न्याय बोर्ड, टोंक (पद सहायक निदेशक अभियोजन)	1
33	किशोर न्याय बोर्ड, उदयपुर (पद सहायक निदेशक अभियोजन)	1
34	किशोर न्याय बोर्ड, डूंगरपुर (पद सहायक निदेशक अभियोजन)	1
योग		34

क्रम संख्या	संभाग	न्यायालय परिसर संपूर्ण स्थान	कार्यालय भवन का पता	प्रिन्टर
1	Udaipur	Court Complex Kushalgarh	Court Campus Kushalgarh	1
2	Udaipur	Court Complex Ghatol	Court Campus Ghatol	1
3	Udaipur	Court Complex Bagidora	Court Campus Bagidora	1
4	Udaipur	Court Complex Garhi	Court Complex Garhi	1
5	Udaipur	Court Complex Anandpuri	Court Complex Anandpuri	1
6	Udaipur	Court Complex Talwada	Court Campus Talwada	1
7	Udaipur	Dhariyawad Court Complex	Dhariyawad Court Premises Pratapgarh	1
8	Udaipur	Chhoti Sadri court Complex	Chhoti Sadri Court Premises Pratapgarh	1
9	Udaipur	Arnod court Complex	Arnod Court Premises Pratapgarh	1
10	Ajmer	Pisangan	Court Campus, Pisangan	1
11	Ajmer	Sarwar	Court Campus, Sarwar	1

Signature Not Verified
 Digitally signed by Kamal Kumar Sharma
 Designation : Joint Director
 Date: 2025.09.19 15:21:14 IST
 Reason: Approved

12	Ajmer	Vijaynagar	Court Campus, Vijaynagar	1
13	Ajmer	Masuda	Court Campus, Masuda	1
14	Ajmer	ACJM RAIPUR	COURT CAMPUS RAIPUR	1
15	Ajmer	JM ASIND	COURT CAPMPUS ASIND	1
16	Ajmer	JM KOTRI	COURT CAMPUS KOTRI	1
17	Ajmer	JM BIJOLIYA	COURT CAMPUS BIJOLIYA	1
18	Jaipur Second	APO.MJM DODH	DHOD COURT COMPLEX	1
19	Jaipur Second	APO.MJM KHANDELA	PANCHAYAT SAMITI CAMPUS KHANDELA	1
20	Jaipur Second	APO Govindgarh	Court Complex Govindgarh	1
21	Jaipur Second	APO Malakhara	Court Complex Malakhara	1
22	Jaipur Second	Bhiwadi	Court Complex Bhiwadi	1
23	Jaipur Second	kotkasim	Court Complex kotkasim	1
24	Jaipur Second	Mundawar	Court Complex Mundawar	1
25	Bikaner	Bidasar court complex	JM court complex bidasar, churu	1
26	Bikaner	Taranagar court complex	APO office JM court complex, Taranagar	1
27	Bikaner	APO MJM ,chattergrh	court complex chattergrh	1
28	Bikaner	PO/APO OFFICE TIBBI	ACJM COURT TIBBI	1
29	Jaipur First	Court Campus, Viratnagar	Court Campus Viratnagar	1
30	Jaipur First	Court Campus, Jamwaramgarh	Court Campus Jamwaramgarh	1
31	Jaipur First	Court Campus, Renwal	Court Campus Renwal	1
32	Jaipur First	Court Campus, Pawta	Court Campus Pawta	1
33	Jaipur First	Court Campus, Jobner	Court Campus Jobner	1
34	Bharatpur	PO acjm Court Kumher	ACJM Court Complex Kumher	1
35	Bharatpur	PO acjm Nadbai	Court complex Nadbai	1
36	Bharatpur	APO jm court bhusawar	Court complex bhusawar	1
37	Bharatpur	APO jm court Uchain	Court complex Uchain	1
38	Bharatpur	APO CJ JD and JM saipau	panchayat samiti Bhavan saipau	1
39	Bharatpur	APO CJ JD and JM court rajakhara	Court Complex Rajakhara	1
40	Bharatpur	APO CJ JD and JM Court sarmathura	Panchayat Bhavan Nadauti	1
41	Bharatpur	APO CJ JD and JM court shrimahaveerji	Court Complex shrimahaveerji	1
42	Bharatpur	APO CJ JD and JM Court Nadauti	Panchayat Bhavan Nadauti	1

Signature Not Verified

Digitally signed by Kamal Kumar Sharma

Designation: Joint Director

Date: 2025.09.19 15:21:14 IST

Reason: Approved

43	Bharatpur	APO CJ JD and JM Court Sapotara	Court complex Sapotara	1
44	Jodhpur	Court Complex Mount abu	Court Campus Mount abu	1
45	Jodhpur	ACJM COURT COMPLEX POKRAN	ACJM COURT COMPLEX POKRAN	1
46	Jodhpur	Court complex ACB-2,Jodhpur	OLD HIGH COURT BUILDING JODHPUR	1
	total			46

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kamal Kumar Sharma
 Designation : Joint Director
 Date: 2025.09.19 15:21:14 IST
 Reason: Approved